न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या– निगरानी/एल आर/1934/2004/बारां

याकूब अली पुत्र श्री रज्जाक जाति मुसलमान निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बांरा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल
2. लतीफ पुत्र रज्जाक जाति मुसलमान निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बांरा

–अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित–

श्री खडग सिंह अभिभाषक प्रार्थी
श्री ओ.पी.भटट उप़ राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 15.6.18

1. यह निगरानी भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 8–1–04 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 84 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का ने तहसीलदार मांगरोंल को इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि ग्राम सीसवाली की आराजी खसरा नम्बर 1751 रकबा 0–48 हेक्टर भूमि पर प्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 28–2–02 से प्रार्थी के विरूद्ध बेदखली, तावान कायमी एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित किये। इससे व्यथित होकर प्रार्थी ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी कोटा के न्यायालय में अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक

8–1–04 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी का किसी भी प्रकार से पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं है। प्रार्थी को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एक माह की सजा,बेदखली व तावान कायमी का आदेश तहसीलदार द्वारा पारित किया गया है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण को साबित करने के लिये न तो पूर्व के निर्णय एवं कार्यवाही का कोई सबूत पेश किया गया है। बेदखल रजिस्टर से प्रार्थी का कब्जा पश्चातवर्ती होना मानते हुये प्रार्थी को एक माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। प्रार्थी को जो नोटिस दिया गया है उसमें भी पश्चातवर्ती अतिक्रमण का उल्लेख नहीं है। इसलिये तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलीय न्यायालय ने भी तहसीलदार के आदेश की गलत रूप से पुष्टि की है। इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर दोनें अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जावें।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से पूर्णतया सिद्ध होता है। जहां तक प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने का प्रश्न है प्रार्थी तहसील में उपस्थित हुआ है और उसे सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया है। प्रार्थी बार बार अतिक्रमण करने का आदी है। इसलिये तहसीलदार द्वारा सिविल कारावास का जो दण्ड दिया गया है वह विधिसम्मत है।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. तहसील की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 14–2–2002को प्रकरण दर्ज कर प्रार्थी को नोटिस जारी करने के आदेश देते हुये आगामी पेशी दिनांक

28–2–2002 नियत की गई है उक्त दिनांक को प्रार्थी न्यायालय मे उपस्थित हुआ है और आदेंशिका पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। तत्पश्चात हल्का पटवारी के बयान लिये जाकर प्रार्थी के विरूद्ध बेदखली तावान कायमी एवं सिविल कारावास के आदेश पारित किये गये हैं। प्रार्थी का यह कथन गलत साबित होता है कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। हल्का पटवारी के बयान के अनुसार पूर्व में दिनांक 27–3–01 को प्रार्थी के विरूद्ध बेदखली एवं तावान कायमी के आदेश पारित हुये हैं। इसलिये अपीलीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार के निर्णय की सही रूप से पुष्टि की गई है।

8. उक्त विवेचन के परिणामस्वरूप निगरानी आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर यदि प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड दिया हो, तावान जमा करा दिया हो एवं भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत तहसीलदार के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दे तो प्रार्थी के विरूद्ध पारित सिविल कारावास की सजा को निरस्त किया जाता है। शेष आदेश बाबत तावान कायमी यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य